

पत्रांक-7/औषधि-07-01/2016- 63(7)A


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

शुद्धि पत्र

विभागीय आवंटन आदेश संख्या -55(7)ब दिनांक-05.12.16 में अंकित सचिव सह उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रक प्रशासन, बिहार, पटना के स्थान पर राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना शुद्ध रूप में पढ़ा जाय ।

उक्त आवंटनादेशों को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

आवंटनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।



(शेखर चन्द्र वर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव

किन्हे

ज्ञापांक : 63(7)A

पटना, दिनांक : 07-12-16

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सम्बंधित जिला पदाधिकारी/सम्बंधित सिविल सर्जन/ सम्बंधित कोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी/सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक / सचिव सह उप औषधि नियंत्रक, औषधि नियंत्रक प्रशासन, बिहार, पटना / राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/प्रशाखा पदाधिकारी-7/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।



सरकार के संयुक्त सचिव

किन्हे